न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 60 / 2016

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
लीलादेवी बेवा बाबुलाल जाति देवासी निवासी धनला तहसील मारवाड जंक्शन		1 सरपंच ग्राम पंचायत धनला, पंचायत समिति मारवाड जंक्शन 2 जेठीदेवी पत्नि वोराराम जाति सिरवी निवासी धनला तहसील मारवाड जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री जगदीशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 23/10/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 16 / 2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.10.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 1830 दिनांक 05.10.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का कब्जासुदा स्वामित्वसुदा रहवासीय भूमि ग्राम धनला में आई हुई स्थित है। जिसमें प्रार्थी निवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर अप्रार्थी की कब्जासुदा एवं रहवाससुदा भूमि का पट्टा स्वयं के नाम जारी करवा लिया, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीया का मकान बना हुआ स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो मौके की जांच की तथा न ही आस पडौस के व्यक्तियों के बयान लिये। ग्राम पंचायत द्वारा पुखाराम के बयान कलमबद्ध किये गये, जो पूर्णतः अनपढ व्यक्ति है तथा दोनो गवाह अप्रार्थी संख्या 2 के सगे सम्बन्धी है। ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में न तो आपत्ति पत्र जारी किया तथा न ही कोई आपत्ति पत्र चस्पा किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में वर्णित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 16 / 2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 4

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 05.10.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 1830 दिनांक 05.10.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत धनला के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर मिसल कायम की जाकर 20.07.2004 को नियम 146 के तहत मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष न तो आवेदन शुल्क जमा करवाया न ही नक्शा शुल्क। इसके अतिरिक्त कोरम द्वारा ग्राम सेवक को नक्शा तैयार करने के आदेश भी जारी नही किये। उक्त कार्यवाही नियम 145 का उल्लंघन है। नक्शा तैयार करने हेतु तीन पंचो को मनोनीत किया जाना आवश्यक है, जबकि हस्तगत प्रकरण में कहीं भी यह स्पष्ट नही है कि वांछित भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु किन वार्ड पंचों को मनोनीत किया गया, जो 146 का उल्लंघन है। इसके पश्चात दिनांक 20.08.2004 को मिसल बैठक में प्रस्तुत होने एवं मौका रिपोर्ट व नक्शा पेश होने के कारण एक माह का आपत्ति नोटिस प्रकाशित करने के आदेश पारित किये गये। नियमानुसार एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने से पूर्व अन्तरिम विनिश्चय किया जाना आज्ञापक है, जो प्रकरण में नही किया जाकर नियम 147 का उल्लंघन किया है। निर्धारित अवधि तक किसी की आपत्ति प्राप्त नही होने पर बैठक दिनांक 05.10.2004 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम नियम 157 (ख) के तहत 200/– रूपये जमा कर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। मिसल के संलग्न जो बयान लिये गये, वह बिना किसी आदेश के लिये गये है। मौका निरीक्षण प्रतिवेदन पर मात्र दो पंचों के ही हस्ताक्षर है, जबकि तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना आज्ञापक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी करने में न तो मौके अनुरूप समग्र जांच की गई तथा न ही आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई। अतः इस अनुसार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की कार्यवाही को विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 16/2004–2005 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.10.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 1830 दिनांक 05.10.2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मौके अनुसार जांच कर, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत कोटडी का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली